



सत्यमेव जयते

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

GOVERNMENT OF INDIA

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

छठी मंजिल, 'बी' विंग, लोक नायक भवन  
खान मार्किट, नई दिल्ली-110003  
6th Floor, 'B' Wing, Lok Nayak Bhawan  
Khan Market, New Delhi-110 003

Dated .....31/5/2011.....

File No. GO/4/2011/STGJH/DELAAL/RU-III

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,  
झारखण्ड शासन,  
राँची (झारखण्ड)

विषय:- मुझ गरीब आदिवासी को षड़यंत्र के तहत जमीन हथियाने की नियत से मुझे जमीन से बेदखल करने के लिए आदिवासी उराँव कहकर गाली-गलौच करने तथा झूठा काण्ड में फँसाकर जेल भेजने के संबंध में ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर इस आयोग के समसंख्यक पत्र दिनांक 10/3/2011 का अवलोकन करें तथा मामले में झारखण्ड राज्य की अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति की समीक्षा बैठक में चर्चा के अनुसार (कापी संलग्न) आयोग को 15 दिन के भीतर विस्तृत जानकारी भेजी जाएगी । मामले में सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है अतः आयोग के माननीय अध्यक्ष, डॉ. रामेश्वर उराँव ने आपको व्यक्तिगत तौर से विस्तृत जानकारी एवं दरतावेजो सहित दिनांक 10/6/2011 को 4.00 बजे अपराह्न को बैठक में आयोग के सम्मेलन कक्ष में चर्चा के लिए बुलाया है ।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त बैठक में उपस्थित होने का कष्ट करें

3695-98  
01/6/11

9C

भवदीय,  
(एन.के. मारन)  
अनुसंधान अधिकारी

प्रतिलिपि:

- (1) अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध अनुसंधान विभाग, झारखण्ड राँची को संलग्नक सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जाती है कि वे प्रकरण से संबंधित विस्तृत जानकारी / रिपोर्ट के साथ उक्त बैठक में उपस्थित होने का कष्ट करें।
- (2) उपपुलिस महानिरीक्षक, (मानवाधिकार) झारखण्ड राँची को संलग्नक सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जाती है कि वे प्रकरण से संबंधित विस्तृत जानकारी / रिपोर्ट के साथ उक्त बैठक में उपस्थित होने का कष्ट करें।
- (3) उपायुक्त राँची, झारखण्ड को संलग्नक सहित इस आयोग के समसंख्यक पत्र दिनांक 23/2/2011 तथा 10/3/2011 के संदर्भ में इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जाती है कि वे प्रकरण से संबंधित समस्त अभिलेख / विस्तृत रिपोर्ट के साथ उपरोक्त सुनवाई बैठक में उपस्थित होने का कष्ट करें।
- (4) श्री घसिया उराँव पिता स्व. श्री मंगरा, ग्राम-तुपुदाना, पोस्ट-हटिया, थाना-तुपुदाना ओपीओ (धुर्वा), जिला राँची(झारखण्ड) को सूचनार्थ।

1/  
अनुसंधान अधिकारी